मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–200/2023

1. दलजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह पुत्री अमरसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– –प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय   दिनांक :– 30.4.2024

वादी की ओर से श्री परमजीत सिंह अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री हरविन्द्र गिल अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.4.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित आराजी में से वादीया एवं प्रतिवादी को

(क) वादीया दलजीत कौर को प्राप्त भूमि :– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक नम्बर 3 आर.के. के खाता संख्या 61/7 में कुल 8.096 [illegible] 3/128 हिस्सा भूमि।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिंह को प्राप्त भूमि :– [illegible] नाम से चक नम्बर 3 आर.के. के खाता संख्या 38/38 में कुल 0.506 हैक्टर, चक नम्बर 5 आर.के. के खाता संख्या 64/39 में कुल 1.265 हैक्टर में 4/5 [illegible]सा की भूमि।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 3 आर.के. के खाता संख्या 38/38 व इसी चक के खाता संख्या 64/39 में से वादीया दलजीत कौर का नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कलमजन व चक नम्बर 3 आर.के. के खाता संख्या 61/7 में से प्रतिवादी बलवीर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि होती है, तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प/पंजीयन शुल्क प्रस्तुत करनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शी के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
.... रुपये पर प्लीडर की फीस	--	[illegible]	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिशनर की फीस	--	[illegible]	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner